संख्या- **3**/1839/49-3-2013-100(1)/2000

प्रेषक,

राम किशोर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 12 दिसम्बर, 2013

विषय- वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दिये गये ऋण/ब्याज की अदायगी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1 /1593ए/49-3-2013-100(1)/2000, दिनांक 6-12-2013 में टंकक त्रुटिवश ब्याज के लेखा शीर्षक **" 2049-ब्याज अदायगियॉ - आयोजनेत्तर, 02- आन्तरिक ऋणों पर ब्याज, 200- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋणों पर ब्याज, 32-ब्याज/लाभांश"** टंकित हो गया है।

2- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त लेखा शीर्षक के स्थान पर **"2049-ब्याज अदायगियॉ-आयोजनेत्तर, 01-आन्तरिक ऋण पर ब्याज, 200-अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज, 03- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋणों पर ब्याज, 32-ब्याज/लाभांश (भारित )"** संशोधित कर अंकित किया जाता है।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 6-12-2013 इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाये।

भवदीय,

( राम किशोर )
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- /1839(1)/49-3-2013,तद् -दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- उप महालेखाकार(राजकोष एवं वी0एल0सी0), कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार(राजकोष), कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-.द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

---2/--

http://shasanadesh.up.nic.in

4- सहायक निदेशक(लेखा) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली को उनके पत्रांक NCDC:A&C/XIV/1/Rel/2005-06, दिनांक 11-10-2013 के संदर्भ में ।

5- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, क्षेत्रीय कार्यालय को उनके पत्रांक-रा0सं0 वि0नि0/7-9/94/आरओएल/994, दिनांक 22-10-2013 के संदर्भ में।

6- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त( व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( राम किशोर )
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in